101   C.R.B. 7.50

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र०   १९७ पुनरीक्षण   निग०.48.III/97

१- चक्रधरसिंह तनय जगतारणलालसिंह
२- मु० तारा सिंह विधवा पत्नी भरतलालसिंह
३- चितेरा चिन्तन लालसिंह
निवासीगण ग्राम गोपला तहसील हनुमना
जिला रीवा म०प्र० --- आवेदकगण

विरुद्ध

१- त्रिशूल) पुत्रगण उदयभान यादव
२- शिवप्रसाद) निवासीगण ग्राम हाटा
३- हरिप्रसाद) तहसील हनुमना जिला
४- बद्रीप्रसाद) रीवा म०प्र०
५- त्रिभूवन प्रसाद)

------ अनावेदकगण

क्रमांक 70/-III
श्री ... द्वारा आज दिनांक 7.2.97
को प्रस्तुत
7.2.97
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा प्र०क्र० ७१।९४-९५ अपील में पारित आदेश दिनांक ५-११-९६ के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता १९५९.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(१) यह कि अपर आयुक्त का विवादित आदेश अवैध, अनुचित तथा अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(२) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि स्थित ग्राम गोपला पर आवेदकगण के पूर्वाधिकारी जगतारणलालसिंह जो कि आवेदकगण के पिता थे का वास्तविक आधिपत्य था तथा उनका नाम आधिपत्यधारी के रुप में वर्ष १९६९-७० से वर्ष १९८८-८९ तक निरन्तर राजस्व अभिलेखों में अंकित चला आ रहा था । विवादित भूमि के भूमिस्वामी अनावेदकगण ने आवेदक

10.2.96

... 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 48–तीन/1997 निगरानी जिला –. रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	आवेदकगण की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर एंव अनावेदकगण की ओर से श्री एस.के.अवस्थी अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 71/94–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–11–1996 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम गोपला स्थित कुल किता 6 के रकबे पर कब्जा अंकित करने का विवाद है । इस रकबे पर तहसीलदार हनुमना ने आदेश दिनांक 12–6–1993 से आवेदकगण का कब्जा अंकित करने का आदेश दिया है। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई है। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने प्रकरण कमांक 123 अ–6–अ/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 5–10–94 से अपील निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखा है तथा तहसीलदार व्दारा कब्जा लिखने का दिया गया आदेश उचित होना माना है। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के आदेश दिनांक 5–10–94 के विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 71/94–95 अपील में पारित आदेश	

दिनांक 5–11–1996 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये हैं । प्रकरण में विचार योग्य है कि क्या किसी कृषक की भूमि पर किसी अन्य कृषक का कब्जा दर्ज किया जा सकता है।

म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115, 116 – किसी नवीन कब्जे की प्रविष्टि नहीं की जा सकती। इन धाराओं के अधीन धारा 114 के अंतर्गत तैयार किये गये अभिलेख में हुई लिपिकीय त्रृटि में सुधार किया जा सकता है।

स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 71/94–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–11–1996 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 5–11–96 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 71/94–95 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–11–1996 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य